भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 995

दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

हिरासत में लिए गए मछुआरों को काउंसलर और कानूनी सहायता

995. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेशी जेलों में हिरासत में लिए गए मछुआरों को काउंसलर और कानूनी सहायता प्रदान की जाती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

ख) क्या कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी मछुआरों के स्वदेश प्रत्यावर्तन में कोई विलंब हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिरासत में लिए गए मछुआरों के परिवारों को कोई मुआवजा या राहत प्रदान की जाती है और यदि हाँ, तो इस संबंध में योजना के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मछुआरों को सीमा उल्लंघन से बचने के लिए जीपीएस उपकरणों जैसी तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके
क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मछुआरों को हिरासत में लिए जाने के मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोई समन्वय मौजूद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) भारत सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है। सरकार राजनयिक माध्यमों, विभिन्न आधिकारिक वार्ताओं और स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से संबंधित सरकारों के साथ मछुआरों से जुड़े सभी मुद्दों को उठाती रही है जिसमें भारतीय मछुआरों और नौकाओं की शीघ्र रिहाई तथा स्वदेश वापसी शामिल है। सभी वार्ताओं में यह अवगत कराया जाता है कि मछुआरों से संबंधित मुद्दों पर पूरी तरह से मानवीय और आजीविका के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थितियों में बल प्रयोग से बचा जाना चाहिए। इसके अलावा, संबंधित देशों में स्थित भारतीय मिशन और कोंसलावास भारतीय मछुआरों की स्थिति जानने और कानूनी सहायता सहित आवश्यक मदद और सहयोग प्रदान करने के लिए स्थानीय जेलों और हिरासत केंद्रों का नियमित दौरा करते हैं। मिशन रिहा किए गए मछुआरों की भारत वापसी को सुगम बनाने के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज़ भी प्रदान करते हैं।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (भारत सरकार) का मत्स्यपालन विभाग मछुआरों के कल्याण के लिए कई प्रमुख कार्यक्रम संचालित करता है। राज्य सरकारें भी हिरासत में लिए गए मछुआरों के परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न राहत योजनाएं संचालित करती हैं। मत्स्यपालन पर गठित एक संयुक्त कार्य समूह (जे.डब्ल्यू.जी.), जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं, भी नियमित रूप से बैठक करता है

सरकार तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाली लगभग 100000 नौकाओं पर 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (पी.एम.एम.एस.वाई.) के तहत ट्रांसपोंडर स्थापित करने सहित 'पोत संचार और सहायता प्रणाली' लागू कर रही है। यह द्विमार्गी संचार प्रणाली प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आपातकालीन संदेश भेजने एवं प्राप्त करने तथा यदि मछुआरे अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा (आई.एम.बी.एल.) पार कर जाते हैं, तो उन्हें सतर्क करने की सुविधा प्रदान करती है।
